


Office of the District Education Officer, Yamuna Nagar


To whom it may concern


Memo No:- PS/24/1155

Dated:- 30-12-24

It is certified that Dashmeh Sr. Sec. School, Kapal Mochan, (Yamuna Nagar) recognized vide D.P.E.O Yamuna Nagar order No. G-2/2001/1733-62 dated 01-03-2001 for classes 1st to 5th and Dashmesh High School, Kapal Mochan, recognized vide DEO Yamuna Nagar order No. G-2/99/9400 Dated 02-07-1999 upto 8th Classes and Dashmesh High School Kapal Mochan (Yamuna Nagar) recognized vide Director, Secondary Education Haryana, Chandigarh order no. 23/269-2000 वि T 12 Dated 26-09-2000 upto Matriculation are the same school being run by Dashmesh Public School Society, Kapal Mochan, Yamuna Nagar.


Manager,
Dashmesh Sr. Sec. School
Kapal Mochan (YNR.)


District Education Officer,
Yamuna Nagar


Principal
Dashmesh Sr. Sec. School
KAPAL MOCHAN (YNR.)

आदेश क्रमांक जी2/2001/1733-62

दिनांक 01-03-2001

दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपालमोचन, यमुनानगर को कक्षा पहली से पांचवी तक शिक्षा बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्थाई मामला तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायें और सरकार/विभाग से किसी पद या ग्रांट को मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई दिशाओं एवं शर्तों तथा एजुकेशन कोड की धारा 214 से 237 के तहत सभी नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-2 पर संशोधन होने पर नियमानुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर के नाम से विद्यालय के प: माह के वेतन के बराबर की राशि जमा करवाने का बाध्य होगा।
4. भावी नियुक्तियां विभाग/सरकार द्वारा जारी नियमानुसार ही की जाएं तथा नियुक्ति करते समय आरक्षण नीति का भी ध्यान रखा जाये।
5. स्टाफ का सी०पी०एफ० सरकार के नियमानुसार चालू किया जाये।
6. पगड़ों का भेयर नियमानुसार इस कार्यालय को भेजे तथा विद्यालय घर का का आर् आडिट विभागीय नियमानुसार करवाया जाये।
7. स्टाफ को वेतन क्रास चेक द्वारा दिया जाये।
यदि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी आदेशों को पालना नहीं कर तो मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
8. संस्था को सी०एच०एल०पी० नं० 2639/95 विनोद कुमार बनाप हरियाणा सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को पालना करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर
01/03/01

पू० क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा है:-

भेजा है:-

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला यमुनानगर स्थित।
3. सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य में।
4. प्रबन्धक संबन्धित विद्यालय दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपालमोचन, यमुनानगर।
5. अनुभाग अधिकारी इस कार्यालय में।
6. प्रबन्धक समिति विद्यालय। दशमेश वरिष्ठ मा० वि० कपालमोचन।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर
01/03/01

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, यमुना नगर ।

आदेश क्रमांक जी-2/99/9400

दिनांक 2-7-99

दशमेश हाई स्कूल कपालमोचन, यमुना नगर को कक्षाएँ से
कक्षा आठवाँ तक शिक्षा कोर्ड में लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न
शर्तों पर स्थाई मान्यता 1-4-99 से प्रदान की जाती है ।

शर्तें

1. संस्था विभाग से किसी प्रकार की ग्रांट की मांग नहीं करेगी तथा विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही खर्चों पर चलायेगा ।
2. विद्यालय विभाग / बोर्ड द्वारा जारी की गई हितयतों एवं शर्तों की पूर्ण पालना करेगा ।
3. विद्यालय स्थापक / प्रबन्धक / प्रमुख के प्रमाण के परामर्श को ध्यान में रखकर शर्तों का पालन किया जायेगा ।
4. विद्यालय शिक्षा कोर्ड में अंकित धारा 214 से 239 तक सभी शर्तों की पूर्णतया पालना करेगा ।
5. विद्यालय की मान्यता की अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापस ली जा सकती है ।
6. विद्यालय का अडिट विभागीय नियमानुसार करवाया जाये तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाने वाली सीझी निधियां समय पर भेजी जाये ।
7. मान्यता के सम्बन्ध में मान्यता पत्र एवं हरियाणा न्यायसालय में विचारानुसार सी. डब्ल्यू. पी. नं० 8094/1997 का जो भी निर्णय होगा वह मान्यता होगा ।

श्री निवास शर्मा
जिला शिक्षा अधिकारी
यमुना नगर ।

पू० क्रमांक सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी जगाधरी को उनके यादी क्रमांक जी-3/99/ 36
दिनांक 25.5.99 के सन्दर्भ में ।
5. प्रबन्धक / मुख्याध्यापक दशमेश हाई स्कूल, कपाल मोचन, यमुना नगर ।
6. अनुमताग / आंकडा अधिकारी, स्थानीय

fnshakar m

जिला शिक्षा अधिकारी

यमुना नगर

कार्यालय सिंदोलाक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।
आदेश क्रमांक: 23/267-2000 दिनांक: 26.9.2000

कार्यालय सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

को दसवीं स्तर तक

की स्थिति गान्यता दिनांक 1.4.2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रमुख स्कूल को अपने ही साधनों से चलाने और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेगे ।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम बनेंगे उनकी विद्यालय पालना करेगा ।
5. अध्यापकों को वेतन क्रॉस चैक द्वारा दिया जाये ।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रहेगा ।

राम गोपाल नागपाल
संयुक्त निदेशालय
कार्यालय निदेशालय सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पृष्ठार्कन क्रमांक सम दिनांक: 26.9.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी **सुभाष** को उनके पत्र क्रमांक **सी-2/2000/2640** दिनांक **7-7-2000** के संदर्भ में ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा/आफंडा स्थानीय ।
4. मुख्याध्यापक, **कार्यालय सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा**

Usha Emari
अधीक्षक विद्यालय-1 26/9/2000

दूत निदेशालय सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

Raj